08 August 2018

PRESS RELEASE

An enforcement raid was carried out by team of officers of Bureau of Indian Standards, on the premises of M/s Krishna Aqua Pure Pvt Ltd,C/1, Shankar Patel Estate, Manjusar,Tal. Savli, vadodara a manufacturer of packaged drinking water dated 25.07.2018 based on intelligence gathered that the unit was indulged in manufacturing, packing and marking of packaged drinking water with ISI mark without having valid licence from Bureau of Indian Standards for that premises. During the operation, misuse of BIS Standard Mark (ISI) was found and several cartons of Packaged Drinking Water Bottles of several varieties with fake /expired BIS licence number were found and seized.

The product is under mandatory certification notified by Government of India which implies that no person shall manufacture the product without having license from BIS to use BIS Standard mark(ISI). Action is being initiated against the offenders for using BIS Standard mark without prior permission of Bureau of Indian Standards under violation of section 17 and 26 of BIS Act 2016. The offence is punishable by imprisonment up to two year or a fine of Rs.Five lakh or both.

"Unscrupulous manufacturers use BIS standard mark (ISI Mark)/Hallmark without valid licence, to deceive the public in general. Bureau of Indian Standards has been carrying out a series of raids, as and when information about misuse is received, to protect the common consumer from such deception: and possible safety hazards which results from the usage of such material. Anybody who has information about misuse of BIS Standard Mark may write to the Head, Bureau of Indian Standards, Ahmedabad Branch Office, at above mentioned address. A complaint can also be made by e-mail at the address ahbo@bis.gov.in or cad@bis.gov.in."*The identity of the information provider would be kept strictly confidential.*

(Alok Singh)
Scientist-E & Head

प्रेस विज्ञप्ति : अशाका/2018

08.08.2018

पैकेजबंद पेयजल के निर्माता इकाई में भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के एक दल ने ब्यूरो से बिना वैध लाईसेंस लिए पैकेजबंद पेयजल के उत्पादन, पैकिंग और ISIचिन्हाकन् में लिप्त होने की एकत्रित आसूचना के आधार पर दिनांक 25.07.2018 को पैकेजबंद पेयजल के निर्माता मैसर्स कृष्णा एकवा प्योर प्राइवेट लिमिटेड, सी/1, शंकर पटेल एसटेट, मंजूसर, ता सावली, वडोदरा के परिसर में एक प्रवर्तन छापा मारा। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न(ISI)का दुरुपयोग पाया गया। साक्ष के रुप मेंISIचिह्न वाले, पैकेजबंद पेयजल की कई किस्मों वाली बोतलों से भरे डिब्बे, नकली/समाप्त लाईसेंस चिन्हित, बरामद हुए ।

उत्पाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य प्रमाणन के अन्तर्गत आता है जिसमें यह समाविष्ट है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो से ब्यूरो मानक चिह्न ISI के लिए लाईसेंस लिए बिना उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा। ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना ब्यूरो मानक चिह्न का प्रयोग करने वाले के खिलाफ भामाब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 और 26 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। यह अपराध दण्डनीय है जिसके अर्न्तगत दो वर्ष का कारावास अथवा रु. 5,00,000 का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है ।

बेईमान निर्माता आमतौर पर जनता को धोखा देने के लिए बिना वैध लाईसेंस के भामाब्यूरो मानक चिह्न (ISIचिह्न)का प्रयोग करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोखा और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए श्रंखलाबद्ध रुप से दुरुपयोग की प्राप्त/एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न के दुरुपयोग की जानकारी हो तो वे उसके बारे में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, तीसरा माला, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014(दूरभाष सं. 27540317) को लिख सकते हैं। शिकायत कोahbo@bis.gov.inअथवा hahbo@bis.gov.inपर ईमेल द्वारा की जा सकती है।इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अति गोपनीय रखा जाएगा।

आलोक सिंह

(आलोक सिंह)
वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख